

आदेशानुसार दिनांक 20/12/24 का पेश हो।

20/12/24

पत्रावली पैरा 1 वकील पक्षकारान् उपर
प्रार्थना पत्र अनर्गल आदेश 212 रां टी. एम्. ए.
वकील उभयपक्ष की वदत सुनी गई। प्रस्तुत
वदत व पत्रावली में सलमन देस्तावेजान्
के अवलोकनानुसार ऊं पत्र अस्फारि-
निषेधात् आं न्याय 212 रां टी. ए. सिद्ध
नहीं होने से अस्वीकार / खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
फज नम्बर से कम ही आदेश एवं
मामालम में सुनाया गया।

अधिका
आदेशानुसार
सौम्य लेक

